रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 405] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 13 1983/भाद्र 22, 1905
NO. 405] NEW DELHI, TUESDAY, SEPT. 13, 1983/BHADRA 22, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 659(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम (270).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 17वां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए ।

2. निर्यात नियंत्रण आदेश, 1977 की अनुसूची-1 भाग 'ख' में क्रम सं. 65 की क्रम सं. 65(1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और निम्नलिखित प्रविष्टि उसके बाद जोड़ी जाएगी :—

"65(2)—ऊनी टाप्स"

[फा. सं. 15/2/83-ई-1]
आनन्द सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 13th September, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

659(E)|No. E(C)O. 1977|AM(270).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Seventeenth Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'B' Schedule-I, S. No. 65 shall be renumbered as S. No. 65(i) and the following entry shall be added thereafter :—

"65(ii)—Wool Tops".

[F. No. 15|2|83|EI]
ANAND SARUP, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983